

UFLEX LIMITED

Division/Office: CORPORATE - SECRETARIAL

Corporate Office: A-107-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, NOIDA - 201301, (U.P.), India

Tel.: +91-120-4012345/2522558 Fax: +91-120-2442903
Website: www.uflexltd.com E-mail ID: secretarial@uflexltd.com

UFLEX/SEC/2023/ 25th July 2023

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/I, G-Block Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051

The BSE Limited
Corporate Relationships Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code : UFLEX Scrip Code : 500148

Subject: Newspaper Advertisement – Notice of 34th Annual General Meeting, Remote E-voting

information and Book Closure etc.

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), both dated: 25th July, 2023, with regard to the "Notice of the 34th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 23rd August, 2023, Book Closure and e-voting information".

This is for your information and record(s).

Thanking you.

Yours faithfully,

For UFLEX LIMITED

(RITESH CHAUDHRY)
Sr. Vice President (Secretarial) &
Company Secretary

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

ROW OVER MANIPUR

Govt reaches out, Oppn firm on demand for PM statement



Opposition parties protest at the Parliament complex on Monday.

would like to move a motion to

suspend Singh, saying this "kind

of behaviour, coming into the

well and disturbing the House,

is completely against the ethics and rules of the House." He also

urged the Chair to take "neces-

put the motion to vote amid

the ruckus, and announced

Singh's suspension amid a

loud "yes" by the ruling

benches and an uproarious

met Dhankhar in his chamber

and demanded that Singh's sus-

pension be revoked. They also

walked out of a meeting called

by Dhankhar to seek their coop-

eration for smooth conduct of

in the afternoon, Deputy Chair-

man Harivansh asked Singh to

withdraw from the House since

he had been suspended, but the

AAP MP did not relent. Amid

protests by the Opposition

members, the House was

wrong. The Manipur issue is so

serious...the wife of a Kargil war

hero was paraded naked....All of

us had been demanding that the

PM come to the House and

make a statement. What is

wrong with that? Why can't the

PM make a statement," said

Singh, who later sat on a dharna

the eight MPs who were sus-

pended for "unruly behaviour"

during the passage of the farm

"targeted". He said he was only

demanding that the PM come

to the House and give a reply.

"When the Chair didn't listen to

me, I went closer to the Chair to

request him to allow me to

speak under Rule 267 for which

I had given a notice," he said. He

said a total of 27 notices were

given by the members of vari-

ous parties for discussion on

the Manipur violence under

Sabha also saw an exchange

between Dhankhar and TMC's

Derek O'Brien over the chair not

mentioning the party affilia-

tions of Opposition members

who had sought a discussion on

the Manipur issue. Dhankhar

read out the names of the MPs

and their parties while detailing

the 11 notices received under

Rule 176, mostly from treasury

benches, seeking short-dura-

tion discussions overviolence in

states ranging from Rajasthan

Earlier in the day, Rajya

The AAP MP said he was

Bills.

Rule 267.

to Manipur.

ical Council of India.

The National Nursing and

Midwifery Commission Bill,

2023 aims at setting up National Nursing and Mid-

wifery Commission (NNMC)

and to repeal the Indian Nurs-

tion and maintenance of stan-

dards of education and services by nursing and midwifery pro-

fessionals, assessment of insti-

tutions, maintenance of a

national register as well as state

a system to improve access,

It also talks about creation of

The Bill provides for regula-

ing Council Act, 1947.

registers.

National Dental Commission

Bill, Nursing and Midwifery

Commission Bill tabled in LS

In 2020, Singh was among

in protest against the action.

"We didn't do anything

adjourned twice.

When the House assembled

the House.

The Opposition leaders later

"no" by the Opposition.

The Chairman asked Goyal to move the motion. He then

sary action" against Singh.

MANOJ CG & LIZ MATHEW New Delhi, July 24

EVEN AS THE government reached out to some Opposition leaders and reiterated that it was ready for a discussion on Manipur, the standoff in Parliament continued for the third day on Monday as the Opposition parties stuck to their demand for a statement by Prime Minister Narendra Modi followed by a comprehensive discussion in the House. The faceoff escalated with the suspension of AAP's Rajya Sabha member Sanjay Singh for the rest of the session.

With both Houses being adjourned again, Lok Sabha Speaker Om Birla has called a meeting of floor leaders on Tuesday to find a way out.

Seeking to break the logjam in Parliament, Defence Minister Rajnath Singh had called up Mallikarjun Kharge (Congress), Sudip Bandyopadhyay (TMC) and TR Baalu (DMK) on Sunday evening, urging them to allow the smooth functioning of both Houses.

"He requested that Bills should be allowed to pass without any disruption, especially the Multi State Cooperative Societies Bill... On Manipur, he said the government is ready for a discussion," Baalu told The Indian Express. The Opposition leaders are learnt to have told him that they would take a collective decision.

Sources in the Opposition said party leaders would meet on Tuesday morning to decide on a united strategy. Some leaders said there is pressure on some of the parties from their MPs to try and resolve the standoff.

The Manipur issue roiled both the Houses as they reassembled after the weekend break. Both the Houses were adjourned multiple times during the day.

The day began with Opposition MPs belonging to the INDIA alliance staging a protest on Parliament premises seeking a statement by Modi on Manipur, and ruling BJP MPs staging a counter-protest at the Gandhi statue over alleged atrocities against women and Dalits in Rajasthan.

In Rajya Sabha, when the House reassembled at 12 noon, as the Opposition members raised slogans, Singh, who was in the well of the House, moved closer to the Chairman's podium to draw his attention, prompting Chairman Jagdeep Dhankharto"name"him.

Leader of the House in Rajya Sabha Piyush Goyal then said he

THE GOVERNMENT ON Mon-

day introduced the National

Nursing and Midwifery Com-

mission Bill, 2023 and the

National Dental Commission

mission Bill seeks to repeal the

Dentists Act, 1948 and pro-

poses to set up National Dental

Commission (NMC) to regulate

dental education and the pro-

education affordable and

make quality oral healthcare

accessible. According to offi-

cial sources, the composition

of the dental commission will

be similar to that of the

National Medical Commission,

which had replaced the Med-

It also aims to make dental

fession in the country.

The National Dental Com-

Bill, 2023 in the Lok Sabha.

SC puts Gyanvapi survey on hold

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, July 24

THE SUPREME COURT on Monday put on hold the Varanasi district court's July 21 order asking the Archeological Survey of India (ASI) to "undescientific investigation/survey/excavation" at the disputed Gyanvapi mosque to find out if it was "constructed over a pre-existing structure of Hindu temple".

"Having regard to the fact that the order of the district court was pronounced at 4.30 pm on 21 July 2023 and the sur-

It said this would give the Mus-

lim side "breathing time" to

approach the Allahabad High

vey is in the process of being carried out today, we are of the view that some breathing time must be granted to the petitioners to move the High Court for pursuing their remedies. We direct that the impugned order of the district court shall not be enforced until 5 pm on 26 July 2023," ordered a three-judge bench presided by Chief Justice

The bench also comprising Justices J B Pardiwala and Manoj Misra clarified that it "shall not be construed as the expression of opinion on the merits".

of India DY Chandrachud.

The top court said the petitioners were at liberty to approach the High Court in the meantime, adding that if they

do so, "the Registrar (Judicial) of the High Court shall ensure that it is placed before the appropriate court according to the roster so that it can be heard before the order of status quo, which has been granted by this court today, comes to an end".

The Supreme Court was hearing an urgent plea moved by the management committee of Anjuman Intezamia Masjid, Varanasi, challenging the district court's July 21 order.

Appearing for the committee, Senior Advocate Huzefa Ahmadi said the order was pronounced at 4.30 pm on Friday, leaving the petitioner with no time to pursue remedies before the High Court.

Rajasthan passes Bill extending social security to gig workers

HAMZA KHAN Jaipur, July 24

THE RAJASTHAN ASSEMBLY Monday passed a Bill extending social security to gig workers but without any debate.

When the House reconvened at 2 pm Monday after unprecedented scenes where sacked minister Rajendra Gudha clashed with Parliamentary Affairs Minister Shanti Dhariwal and other Congress MLAs, BJP MLAs again stormed the well and

Name of

resumed their protest over the 'red diary', which Gudha has alleged contains incriminating details of Ashok Gehlot government's 'misdeeds'.

As the House proceedings

resumed amid loud protest by BJP MLAs who raised symbolic red diaries before Speaker C P Joshi, the Speaker and the ruling party rushed through four legislations, including the Bill for gig workers.

The Rajasthan Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill extends

certain "rights" to gig workers, such as being registered with the state, having access to general and specific social security schemes, and having an opportunity to be heard for any grievances, among others.

An important component is the setting up of a Platform Based Gig Workers Welfare Board.

Apart from bureaucrats, it will have two representatives each from gig workers and from aggregators, to be nominated by the government.

Vacancy Circular/

FLEX FOODS LIMITED

Regd. Office: Lal Tappar Industrial Area, P.O. - Resham Majri, Haridwar Road, Dehradun (Uttarakhand) Corporate Office: A-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida-201301, Uttar Pradesh, INDIA. Phone: +91 120 4012345

Share Deptt. Office: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048 Phone: +91-11-26440917, 26440917 Fax: +91-11-26216922

Website: www.flexfoodsltd.com E-mail ID: secretarial@flexfoodsltd.com

INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 33RD (THIRTY THIRD) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 33rd ("Thirty Third") Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, August 18, 2023 at 3:30 P.M. IST in compliance with the General Circular No(s) 14/2020 dated: April 08, 2020, 17/2020, dated: April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 respectively read with other Circulars, as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)(collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 respectively with other Circulars as may by issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In Compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2022-23, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Monday, July 24, 2023 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid Documents are also available on the Company's website at www.flexfoodsltd.com and on the website of the Stock exchange, i.e. "BSE Limited" at www.bseindia.com.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") to provide the e-voting facility to the Shareholders. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting")

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. Central Depository services Limited, ("CDSL") will be providing facility for voting through remote e-voting, for participating in the 33rd AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the 33rd AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Saturday, July 29, 2023 to Friday, August 18, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of the Shareholders to the Dividend for the year 2022-23.

All members are informed that:

- the business as set-forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- (b) the date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, August 15, 2023, 9:00 A.M.;
- (c) the date and time of end of remote e-voting: Thursday, August 17, 2023, 5:00 P.M.;
- (d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM: Friday, August 11. 2023. The voting rights of the members shall be in proportion to their shareholding as on the cut-off date i.e., Friday,
- (e) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and hold shares as of the cut-off date i.e., Friday, August 11, 2023, can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and Password can be used for casting vote;
- (f) The members may note-

August 11, 2023;

- remote e-voting shall not be allowed beyond Thursday, August 17, 2023, 5:00 P.M.
- The facility for voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
- voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and (iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Thursday, August 17, 2023 only shall be

(iii) A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-

entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting; (g) The Members who have not registered their email address(s) are requested to register their email address with respective depository participant and members holding shares in physical form are requested to update their email address with Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh

Dass Mandir, New Delhi-110062, Phone No.: 011-29961281-83, Fax No.: 011 - 29961284, E-mail:

beetal@beetalfinancial.com,to receive the copies of the Annual Report for the Financial year 2022-23 and the

- Notice of AGM, instructions for remote e-voting and for participation in the AGM through VC/OAVM. (h) The members may please note that Board of Directors has recommended a Final Dividend of 5% li.e., @ Rs. 0.50 (Fifty Paisa Only) per Equity Share of Face Value of Rs.10/- (Rupees Ten Only)] for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. The Dividend, if declared, will be paid electronically through various online transfer modes to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants. For Shareholders who have not updated their bank account details, Dividend Warrants / Demand Drafts will be sent to their registered addresses. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically or any other means, by sending scanned copy of the following
- Signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and Bank details including Name and Branch of Bank and Bank Account type, Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; 11-digit IFSC Code;

details/documents at the Company's email address secretarial@flexfoodsltd.com:

- Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares
- Self-attested scanned copy of the PAN Card; and
- Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

For the Members holding shares in demat form, please update your Electronic Bank Mandate through your Depository Participant(s)

For further information/clarification on the above matter, Members can write to the Company/RTA of the Company at the above-mentioned address/e-mail.

- Website address of the Company and of the agency where notice of the meeting is displayed: www.flexfoodsltd.com and www.evotingindia.com;
- Name, Designation, Address, Email Id and Phone Number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means:
 - Mr. Himanshu Luthra, Company Secretary, Email Id: secretarial@flexfoodsltd.com, Telephone No.: 0120-4012345, Address: Corporate Office: A-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida-201301, Uttar Pradesh, INDIA.

By order of the Board of Directors For Flex Foods Limited

> Himanshu Luthra Company Secretary Dated: 24th July, 2023 FCS No. 10694 Place: Noida

HI MUNICIPAL COUNCIL Palika Kendra, New Delhi **Personnel Department**

VACANCY NOTICE

The New Delhi Municipal Council (NDMC) invites application for the following posts on deputation basis from Government Officers under the Central/State Government/Autonomus or Statutory Organizations, as per details given below:

Pay Level No. of Last Date of Receipt

No.	Posts	under 7th CPC	Posts	of Application	Letter No. with Date
1.	Chief Architect (on deputation)	13(A) of Pay Matrix (Rs.1,31,100- 2,16,600)	01	31.07.2023	No. 487/A&H/Estt. dated 08.06.2023 read with No. I/71197/2023 dated 17.07.2023
2.	Sr. Audit Officer (on deputation)	10 of Pay Matrix (Rs.56,100- 1,77,500)	05	31.07.2023	No. I/55409/2023 dated 10.02.2023 read with No. I/70116/2023 dated 06.07.2023
3.	Asstt. Audit Officer (on deputation)	8 of Pay Matrix (Rs.47,600- 1,51,100)	10	31.07.2023	No. I/55412/2023 dated 10.02.2023 read with No. I/70116/2023 dated 06.07.2023
4.	Suptd. Engg. (Civil)	13 of Pay Matrix (Rs.1,23,100- 2,15,900)	02	31.07.2023	No. SO(CE-II)/50/SAG- dated 14.06.2023 read with No. SO(CE-II)/77/ SA-G-I dated 18.07.2023
5.	Exe. Engg. (Civil) (on deputation)	11 of Pay Matrix (Rs.67,700- 2,08,700)	12	04.08.2023	No. SO(CE-II)/49/SAG-I dated 14.06.2023 read with No. SO(CE-II)/79/ SAG-I dated 20.07.2023
6.	Exe. Engg. (Elect.) (on deputation)	12 of Pay Matrix (Rs.78,800- 2,09,200)	17	03.08.2023	No. I/63466/2023 dated 10.05.2023 read with No. I/71455/2023 dated 19.07.2023
7.	Suptd. Engg. (Elect.) (on deputation)	13(A) of Pay Matrix (Rs.1,31,100- 2,16,600)	03	07.08.2023	No. I/63880/2023 dated 15.05.2023 read with No. I/69152/2023 dated 07.08.2023

https://www.ndmc.gov.in and the application should be sent only as per the prescribed proforma attached in above mentioned vacancy circular.

Note: - For latest update of extension of last date, kindly visit NDMC's official website.

Director (Personnel)

ED WELEX UFLEX LIMITED (A part of your daily life) CIN: L74899DL1988PLC032166

Regd Off.: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048 Phone Nos: 011-26440917, 011-26440925 Fax: 011-26216922

Website: www.uflexltd.com Email: secretarial@uflexltd.com

INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 34TH (THIRTY FOURTH) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the 34th ('Thirty Fourth') Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the

Members of UFLEX Limited (the "Company") will be held on, Wednesday, August 23RD, 2023 at 3:30 P.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of AGM dated: 30th May, 2023. In accordance with the MCA General Circular No. 14/2020, dated 08th April, 2020, 17/2020, dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 05th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 as issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 05, 2023 respectively read with other Circulars as may be issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Company will be sending the Notice of the 34th AGM along with the Annual Report 2022-23, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide above refered MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The Annual Report 2022-23 of the Company and the Notice of the AGM along with Explanatory Statement shall be available on the website of the Company at www.uflexltd.com and on the websites of the Stock Exchange(s) viz. www.bseindia.com & www.nseindia.com. A copy of the same shall also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.

The Members who have not registered their email address(s) are requested to register their email address with respective depository participant and members holding shares in physical form are requested to update their email address with Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110062, Phone No.: 011-29961281-83, Fax No.: 011 – 29961284, E-mail: beetal@beetalfinancial.com,to receive the copies of the Annual Report for the Financial Year 2022-23 and the Notice of AGM along with instructions for remote e-voting and for participation in the AGM through VC/OAVM.

The Members may please note that Board of Directors has recommended a Final Dividend of 30% (i.e., @ Rs. 3.00 (Rupee Three Only) per Equity Share of Face Value of Rs.10/- (Rupees Ten Only)] for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of the Shareholders at the ensuing AGM. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Saturday, 5th August, 2023 to Wednesday, 23rd August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of members to the final dividend. The Dividend, if declared, will be paid electronically through various online transfer modes to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants. For Shareholders who have not updated their bank account details, Dividend Warrants / Demand Drafts will be sent to their registered addresses. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically or any other means, by sending scanned copy of the following details/ documents at the Company's email address secretarial@uflexltd.com.

- a) signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and Bank details including Name and Branch of Bank and Bank Account type, Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; 11 digit IFSC Code;
- Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly:
- c) Self-attested scanned copy of the PAN Card; and

New Delhi

the above mentioned address/e-mail

 d) Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

For the Members holding shares in demat form, please update your Electronic Bank Mandate through your

Depository Participant(s). For further information/clarification on the above matter, Members can write to the Company/RTA of the Company at

> By order of the Board for UFLEX LIMITED

> > ACS No. 19966

Ritesh Chaudhry Sr. Vice President - Secretarial & Company Secretary

financialexp.epap.in

advancement for matters connected therewith.

research and development and adoption of latest scientific Dated: July 24, 2023 Place: Noida

05.06.2023

दसरी मंजिल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005. फोन नंबर 011–28754615, 28754642 ईमेल आईडी: law.rodelhinorth@unionbankofindia.bank साछपत्र

शुद्धिपत्र 27.07.2023 का होन ई—नीलामी के लिए दिनांक 16.07.2023 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित बिक्री नोटिस के संदर्भ में है। जिसमें से **खाता क्रम सं. 1 श्री अश्विनी** कुमार शर्मा एवं श्रीमती ममता शर्मा (कर्जदार), (शाखा–आजादपुर) की सम्पत्ति अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस संपत्ति को बैंक ने 27.07.2023 को होने वाले ई—नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है।

प्रााधकृत आधकारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थानः दिल्ली

विकास पुरी शाखा, जे—10, विकास पुरी, 🕽 बैंक ऑफ़ बड़ीदा नई दिल्ली - 110018 Bank of Baroda In the state of th

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि **बैंक ऑफ बड़ौदा, जे-10, विकासपुरी नई दिल्ली** अपने एक ग्राहक द्वारा अनुरोधित एक ऋण / क्रेडिट सुविधा के लिए प्रतिभूति के रूप में श्री जयदीप दासगुप्ता और श्रीमती सोमा दासगुप्ता, निवासी आवासीय विला नंबर 190, ब्लॉक-एक्स, तत्वम विलाज, विपुल वर्ल्ड, सेक्टर-48, गुरुग्राम, हरियाणा के नाम पर मौजूद अधोवर्णित संपत्ति को स्वीकार करने का इरादा

यदि किसी भी व्यक्ति का अधोवर्णित संपत्ति पर कोई अधिकार/स्वामित्व/हित/दावा है. तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने दावे को साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण के साथ 10 दिनों के भीतर बैंक से संपर्क करें। यदि 10 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो यह मान लिया जाएगा कि संपत्ति किसी

भी शुल्क / दावे / ऋणभार से मुक्त है और बैंक बंधक के साथ आगे की कार्रवाई करेगा। संपत्ति का विवरण :- आवासीय विला संख्या 190 (अधिमापन 752.28 वर्ग गज), ब्लॉक-एक्स, तत्वम विलाज, विपुल वर्ल्ड, सेक्टर-48, गुरुग्राम, हरियाणा जो कि श्री जयदीप दासगुप्ता और श्रीमती सोमा दासगुप्ता के नाम पर है,

जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं : उत्तर : सड़क 12 मीटर चौड़ी पश्चिम : विला नंबर 191 पूर्व : हरित गलियारा शाखा विवरण : बैंक ऑफ बड़ौदा, जे 10, विकासपुरी नई दिल्ली।

प्लेक्स फूड्स लिमिटेड

रजि. कार्यालयः लाल टप्पर औद्योगिक क्षेत्र, पी.ओ. — रेशम मजरी, हरिद्वार रोड, देहरादून (उत्तराखंड) **कॉर्पोरेट कार्यालयः** ए—108, सेक्टर—प्ट, जिला । गीतमबुद्धनगर, नोएडा—201301, उत्तर प्रदेश, भारत । फोन: +91 120 4012345

शेयर विभाग कार्यालय: 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश—1, नई दिल्ली—110 048 फोन: +91-11-26440917, 26440917 फॅक्स: +91-11-26216922

वेबसाइट: www-flexfoodsltd.com ई–मेल आईडी: Secretarial@flexfoodsltd.com

33वीं (तैतीसवीं) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य -दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 33वीं (''तैतीसवीं'') वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' या ' बैठक') शुक्रवार, 18 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार दिन के 3:30 बजे वीडियो कॉफ्रेंस ("वीसी")/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (''ओएवीएम'') से होगी । सामान्य विज्ञप्ति संख्या(ओं) क्रमशः 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20 / 2020 दिनांक 05 मई 2020 02 / 2022 दिनांक 5 मई 2022, 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और इस संबंध में जारी किये गये बाद के परिपत्र, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया गया है (सामुहिक रूप से एमसीए विज्ञप्ति कहा गया) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई 2022 और 05 जनवरी 2023 तथा सेबी द्वारा जारी अन्य विज्ञप्तियों (यदि जारी की गई) के सहित पढ़ा जाये (सामुहिक रूप से "सेबी विज्ञप्ति" कहा गया) के अनुपालन में बैठक का कार्य संचालन एजीएम की बैठक बुलाने संबंधी नोटिस में तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सदस्य वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी / ओएवीएम सुविधा के जरिए बैठक में हिस्सा लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

सम्बद्ध विज्ञप्तियों के अनुपालन में, एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट लेखा परीक्षक रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य अपेक्षित दस्तावेज के साथ सोमवार 24 जुलाई, 2023 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दिए गए हैं, जिनका ईमेल पता कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com और शेयर बाजार की वेबसाइट जैसे कि "बीएसई लिमिटेड' www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए अनुदेश:

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित, कंपनी अनिधनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को सहर्ष, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मताधिकार का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") से करने की अनुमति प्रदान करेगी। कंपनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") की सेवाएं हासिल की हैं। सदस्य नीचे ("रिमोट ई-वोटिंग" में) वर्णित तारीखों को सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए, दूरस्थ स्थान से अपने वोट डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट देने की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया होगा, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") वीसी / ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने की सुविधा और 33वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

एजीएम और वर्ष 2022-23 के लामांश लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां, शनिवार, 29 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 (दोनों तारीखों सहित) की अवधि में बंद रहेंगी।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :-

(क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार बैठक का संचालन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग के जरिए किया जा सकता

(ख) रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तारीख और समय: - मंगलवार, 15 अगस्त, 2023, पूर्वाहन 9:00 बजे। रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समय :— गुरूवार, 17 अगस्त, 2023, साथं 5:00 बजे ।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा एजीएम में वोट देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तारीख शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023, सदस्यों के वोटिंग राइट्स कट—ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023, को उनकी शेयरहोल्डिंग के अनुपात में होंगे।

(ङ) यदि किसी व्यक्ति ने, कंपनी के शेयर खरीदे हों, और वह एजीएम का नोटिस डिस्पैच होने के बाद कंपनी का सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023, को वह शेयरधारक हो, तो वह एजीएम के नोटिस में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए लॉग इन आईडी और पासवर्ड सुजित कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हो, तो वह वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है;

(च) सदस्य कृपया नोट करें:

(i) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के इस्तेमाल की अनुमति गुरुवार, 17 अगस्त, 2023, साय 5 बजे के बाद नहीं

(ii) वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी और बैठक में हिस्सा लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के जरिए वोट न दिया हो, वे बैठक के दौरान वोट डाल सकेंगे;

(iii) रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु, बैठक में उसे फिर से वोट देने का अधिकार नहीं होगा; और

(iv) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक आम बैठक में वोट देने की सुविधा केवल उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसका नाम कट-ऑफ तारीख यानी गुरूवार, 17 अगस्त, 2023, को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपोजिटरीज द्वारा रखे गए रजिस्टर में लाभार्थी स्वामी के रूप में दर्ज हो।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत करें और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाईनेंशियल एंड कंम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062, फोन नं: 011-29961281-83, फैक्स नं: 011-29961284, ई-मेल beetal@beetalfinancial.com के साथ अपना ईमेल पता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करने के लिए और एजीएम की सुचना, रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश और वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए अपडेट करा लें।

सदस्य कपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये 5% अन्तिम लाभांश [(₹10/- (रुपये दस मात्र) मूल्य की फेस वैल्यू पर ₹0.50 (पचास पैसे मात्र)] प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है, जो एजीएम में शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है। लाभांश यदि घोषित किया जाता है तो यह विभिन्न ऑनलाईन अंतरण माध्यमों से उन शेयर धारकों को इसका भूगतान किया जायेगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी यानी जमाकर्ता प्रतिभागियों के साथ अद्यतन कर लिया है। जिन शेयर धारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं किया है उनका लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजा जायेगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम (इलेक्टॉनिक बैंक अधिदेश) से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश अंतरण के लिये अपना अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश द्वारा सीधे अपने बैंक खाते में या किसी अन्य माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी के ई-मेल secretarial@flexfoodsltd.com पर निम्नलिखित विवरण / दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रति भेज सकते हैं:

 हस्ताक्षरित प्रार्थनापत्र, आपका नाम, फोलियो नम्बर, पूरा पता और बैंक विवरण (नाम, शाखा तथा खाता प्रकार) कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के बाद बैंक से आवंटित खाता संख्या के उल्लेख सहित; 11 अंक का आईएफएससी कोड;

2) रद्द किये हुए चेक की स्व-प्रमाणित, जिस पर सदस्य या पहले धारक, यदि शेयर संयुक्त रूप से लिये गये हों, का

नाम हो की स्कैन की हुई प्रति; 3) पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन की हुई प्रति; और

4) सदस्य के कंपनी के साथ पंजीकृत पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे कि आधार-कार्ड, ड्राईविंग

लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पांसपोर्ट) की स्कैन की हुई स्व-प्रमाणित प्रति । डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश अपने डिपॉजिटरी या जमाकर्ता

प्रतिभागि(यों) के माध्यम से अद्यतन करायें। उपर्युक्त संदर्भ में किसी अन्य जानकारी / स्पष्टीकरण के लिये, सदस्य कंपनी / कंपनी के आरटीए को उपरोक्त पते / ई-मेल पर लिख सकते हैं।

(1) कंपनी और एजेंसी की वेबसाइट पता, जहां बैठक का नोटिस डिस्प्ले किया गया www.flexfoodsltd.com और

www.evotingindia.com ਵੈ:

(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से संबंधित शिकायतें दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर : श्री हिमांशू लूथरा, कंपनी सेक्रेटरी ईमेल आईडी : secretarial@flexfoodsltd.com, टेलीफोन नंबर : 0120-4012345 पता : ए-108, सेक्टर-IV, जिला गौतम

> बोर्ड के आदेशानुसार, कृते फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड

> > कंपनी सेक्रेटरी

सदस्यता संख्याः 10694

हिमान्शू लूथरा

"IMPORTANT"

बुद्धनगर, नोएडा—201301, उत्तर प्रदेश, भारत ।

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बैक ऑफ बडीदा Bank of Baroda # AND 100 AND

फरीदाबाद-121001 (हरियाणा), भारत दूरभाष : 91-129-2415527, 2412681, फैक्स : 91.129.2417711 ईमेलः : secfar@bankofbaroda.com

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 21–03–2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता मैसर्स के.बी. सेल्स कॉर्पोरेशन को सूचना में अंकित राशि रु. 23,01,134/-, 21–03–2023 के अनुसार, संविदागत दर पर राशि पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक लागू लागतों, शुल्कों और व्ययों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर

ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 19 जुलाई 2023 को, ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्यतय

सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति / यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 23,01,134/-, (रुपये तेईस लाख एक हजार एक सौ चौंतिस मात्र), 21-03-2023 के अनुसार, संविदागत दर पर राशि पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक लागू लागतों, शुल्कों और व्ययों हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपित्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की

धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो कि 18 मापन 3 मारला अर्थात् 100 वर्ग गज से समाविष्ट है जो खसरा सं. 31/23 एवं 24/1 का भाग है और मौजा बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित है। उत्तर : मकान नं 368 पूर्व : अन्य संपत्ति पश्चिम : रास्ता 15 फूट

स्थान : सेक्टर 4, फरीदाबाद

केनरा बैंक Canara Bank 📣

क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा सी-3, दूसरी मंजिल, सेक्टर-1, नोएडा 201301 दुरभाष : 0120-2524896 ई-मेल recoverynoida@canarabank.com

बैंक ऑफ बड़ौद

कब्जा सूचना [अचल सम्पत्तियों हेतू]

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों/स्वामियों/बंधककर्ताओं/जमानितयों से उनके नाम के सामने उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सुचना निर्गत की।

कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए केनरा बैंक के प्रभार का विषय

1. कर्जदार: मैसर्स जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग वाया महेंद्र, श्री महेंद्र पुत्र अजीबपाल दिनांक: 19.04.2023, कब्जा 19.07.2023 अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय और संपत्ति का विवरणः चक संख्या 116 वाला आवासीय खाली प्लॉट, खेत नंबर 102 का हिस्सा, गांव-दनकौर (बाहर टाउन एरिया) परगना-दनकौर, तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर श्रीमती

सीमाएँ: उत्तरः जय सिंह का भूखंड, दक्षिणः अन्य भूखंड

पर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः गांव की सडक

2. कर्जदारः श्री संजय सिंह पुत्र स्व. सुखवीर सिंह, श्री सुरेंद्र पुत्र सुखवीर और स्व. सतवीर पत्र स्व. सखवीर सभी निवासी गाटा नंबर 368 खसरा नंबर 265 चिटहेरा

मांग सूचना दिनांक: 21.03.2023, कब्जा दिनांक: 19.07.2023 बकाया राशिः रु. ७,४२,८६६.५६ (रुपये सात लाख बयालीस हजार आठ सौ छियासठ और छप्पन पैसे मात्र) अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक खर्चों और लागतों के साथ। संपत्ति का विवरण: खसरा २६५, गाटा संख्याः ३६८, ग्राम-चिटहेरा, परगना और तहसीलः दादरी जिलाः गौतम बृद्ध नगर में स्थित आवासीय घर, क्षेत्रफल 334.44 वर्ग मीटर, 1. श्री संजय सिंह, 2. श्री सतवीर सिंह के नाम पर। 3. श्री सुरेंद्र सिंह.

सीमाएँ: उत्तरः जिलेवती का घर, दक्षिणः विक्रेता की शेष भूमि पूर्वः रास्ता कच्चा 15 फीट चौड़ा पश्चिमः आबादी भारती

स्थान : नोएडा ह./- अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बेंक, नोएडा

सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिज. ऑफिस: 503 और 504, 5वी मंजिल, B विंग, हीरानंदानी फलक्रम, सहार रोड, अंथेरी ईस्ट, मुंबई- 4000 99, CIN: U74140MH2008FTC182494, फोन नं.: +91 22 43214321, फैक्स नं.: +91 22 43214372, ईमेल ID: client@india.sodexo.com

वेबसाइट: www.sodexo.in

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखां-परीक्षित वित्तीय परिणाम

20000		5-लाख में, प्रति शे 31.03.2023 को	
क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
1	आय a) संचालन से राजस्व b) अन्य आय	17,756 1,192	13,733 1,242
	कुल आय	18,948	14,975
2	खर्चे a)इस्तेमाल की गयी सामग्री की लागत b)संचालन की लागत c)कर्मचारी लाभ खर्च d)मूल्यहास और परिशोधन (डेप्रिसिएशन ऐंड अमॉर्टाइज़ेशन) खर्च e)अन्य खर्च f) वित्त लागत	817 5,695 6,836 1,420 3,716 72	177 4,873 5,850 1,312 3,297 93
3	कुल खर्च	18,556	15,602
4	लाभ /(हानि) कर के पहले	392	-627
5	कर (टैक्स) ख़र्च	154	-153
6	शुद्ध लाभ/(हानि), अवधि के लिए	238	-474
7	पेंड अप इक्रिटी शेयर कैपिटल (रु.10/- प्रति शेयर की फेस वैल्यू)	5,69,80,330	5,69,80,330
8	प्रति शेयर आय (बेसिक/डाइल्यूटेड) (रु.)	0.42	-0.83

	31 मार्च, 2023 को सं उत्तरदायित्वों का	पत्तियो और विवरण	
	Ottedii del di	1737711	(अंक-लाख में)
क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखा-परीक्षित) (लेखा-परीक्षित)	
A 1	समान शेयर और उत्तरदायित्व शेयर धारकों का कोष a) शेयर पूंजी b) अन्य इकिटी	5,698 844	5,698 563
	उप-कुल शेयरधारक कोष	6,542	6,261
2	ग़ैर- मौजूदा देयताएं a)वित्तीय देयताएं b)दीर्घ अवधि प्रावधान	452 1,103	1,155 1,039
	उप-कुल ग़ैर-मौजूदा देयताएं	1,555	2,194
3	वर्तमान देयताएं a)वित्तीय देयताएं b) अन्य वर्तमान देयताएं	27,887 1,11,880	20,946 97,242
	उप-कुल वर्तमान देयताएं	1,39,767	1,18,188
	कुल समान शेयर और उत्तरदायित्व	1,47,864	1,26,643
B 1	सम्पत्तियाँ शैर-मौजूदा सम्पत्तियाँ a)निश्चित संपत्ति b)वित्तीय सम्पत्तियाँ c)आय कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) d)स्थिणत कर सम्पत्ति (शुद्ध) e)अन्य शैर-मौजूदा सम्पत्तियाँ	2,147 384 5,815 5,081 621	2,582 829 3,576 5,213 604
	उप-कुल ग़ैर-मौजूदा सम्पत्तियाँ	14,048	12,804
2	वर्तमान सम्पत्तियाँ a)माल सूची b)व्यापार प्राप्तियां c)नकृद और बैंक शेष d)अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ e)अन्य वर्तमान सम्पत्तियाँ	349 8,282 1,09,715 14,623 847	69 7,930 89,255 15,847 738
	उप-कुल वर्तमान सम्पत्तियाँ	1,33,816	1,13,839
	कुल सम्पत्तियाँ	1,47,864	1,26,643

a) **27 जून, 2023** को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित किया गया है.

b) लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों और बैलेंस शीट के सम्बन्ध में कोई पात्रता या अन्य आरक्षण व्यक्त नहीं किया है और

इसलिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है. c) 20 सितम्बर 2023 को होगी कंपनी की वार्षिक महासभा (एनुअल जनरल मी<mark>टिंग)</mark> में सदस्यों द्वारा हिसाब-किताब (एकाउंट्स) को अपना लिया जायेगा. सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिनांक: 27.06.2023 हस्ता/-कम्पनी सचिव स्थानः मुंबई

कपया ध्यान दें :

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादुन

पारस टावर, 2 रा तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

मांग सूचना धारा 25 से 28 के अंतर्गत ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आय कर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

मै. आर. एस. ट्रेडर्स एवं अन्य

सीडी नं. 1. मै. आर. एस ट्रेडर्स, प्रॉप्राइटरिशप प्रतिष्ठान, द्वारा उसके प्रॉप्राइटर, पता : 895, संजय मार्ग, गांधी नगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश सीडी नं. 2. अनुज गोयल, पुत्र श्री राज रिशी गोयल, निवासी : 233/2, द्वारकापुरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

सीडी नं. 3. अंशुल गोयल, पुत्र श्री राज रिशी गोयल, निवासी : 233/2, द्वारकापुरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश सूचित किया जाता है कि ओए/184/2021 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मे जारी की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार विलंम्बित तथा 03.07.2021 से वसूली तक 10.35 % साधारण दर पर आगे के ब्याज तथा रु. 145800/- (रु. एक लाख पैंतालिस हजार आठ सौ मात्र) की लागतों के साथ रु. 64,04,591.06/- (रु. चौंसठ लाख चार हजार पांच सौ इक्यानबे एवं पैसे छः मात्र) की राशि आप पर (संयुक्त तथा पृथक रूप से) बकाया हो गया है।

2. एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि के भुगतान का निर्देश दिया जाता है अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार यह वसूली

3. एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि को या पूर्व अपनी सम्पत्तियों का विवरण एक शपथ पत्र पर घोषित

4. एतदुद्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि अग्रिम कार्यवाही के लिये 07.08.2023 को 10.30 बजे पूर्वा. में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष

5. उक्त राशि के अतिरिक्त आप अधोलिखित का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होंगेः

क) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तत्काल बाद शुरू होने वाली अवधि के लिये देय ब्याज

ख) बकाया राशि की वसूली के लिये इस सूचना तथा वारंट्स की सेवा तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा शुरू की गई अन्य कार्यवाहियों के संदर्भ में वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 05.06.2023 को दी गई:

वसुली अधिकरण ऋण वसुली अधिकरण, देहरादून

आरएमीपीसी-सह-एसएआरसी एससीओ 98 (प्रथम एवं द्वितीय तल) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना।

आर सी/162/2022

सेवा में,

माग सूचना (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) **कार ऋण संख्या <u>39793616664</u>**

धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, जिसमें यहां सूचीबद्ध कर्जदारों और बंधककर्ताओं/गारंटरों (इसके बाद 'उक्त कर्जदार' के रूप में संदर्भित) को नोटिस में उल्लिखित नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस या तो डाक अधिकारियों द्वारा बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है या कर्जदारों, बंधककर्ताओं/गारंटरों द्वारा इसकी पृष्टि नहीं की गई है। इसलिए बैंक अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मांग सूचना के इस प्रकाशन को प्रभावी कर रहा है। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनसार उक्त नोटिस को उक्त कर्जदारों/बंधककर्ता/गारंटरों के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चिपकाया है। उक्त नोटिस की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं; और उक्त कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से उक्त प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त पृष्ठभिम में, एक बार फिर, उक्त कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक को नीचे दी गई राशि का भगतान संविदात्मक दरों पर भावी ब्याज के साथ करें और नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर ऋण और अन्य दस्तावेजों के तहत भुगतान की तारीख तक का भुगतान करें। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभृति के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियों को संबंधित कर्जदारों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के पास गिरवी रखा गया है। यदि उक्त कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर उपरोक्तानुसार भारतीय स्टेट बैंक को भुगतान करने में विफल रहते हैं तब भारतीय स्टेट बैंक उपरोक्त प्रतिभृत संपत्तियों के खिलाफ सरफैसी अधिनियम और नियमों की धारा 13(4) के तहत लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त कर्जदारों, बंधककर्ताओं/गारंटरों के जोखिम पर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (बी) के प्रावधानों पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। आपको सरफैसी अधिनियम के तहत भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व लिखित सहमित के बिना प्रतिभृति संपत्तियों को चाहे बिक्री के माध्यम से, पट्टे के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावास और/या जर्माने के लिए उत्तरदायी होगा

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम के तहत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर का नाम	प्रवर्तित की जाने वाली	13(2) सूचना के	मांग सूचना की
	प्रतिभृति का विवरण	अनुसार संशि	तिथि
रघुनाथ सिंह पुत्र श्री मंगतुराम मकान नंबर 1499, सेक्टर-55, फरीदाबाद- 121004 श्री रघुनाथ सिंह पुत्र स्व. मंगतू राम वाया इंडो ऑटोटेक लिमिटेड यूनिट-1 प्लॉट नंबर 334-338, सेक्टर-24, फरीदाबाद- 121003 इसके अलावाः मकान नंबर 1538, सेक्टर-55 फरीदाबाद-121004 इसके अलावाः मकान नंबर 3498, पहली मंजिल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वीटा डेयरी पॉकेट -2 के पास, सेक्टर-3 बल्लभगढ़-121004, फरीदाबाद (हरियाणा)	दृष्टिबंधक वाहन का विवरण : निर्मिति : हुंडई औरा 1.2 एमटी सीएनजी एस पंजीकरण सं. : HR-29-AW-6423 इंजन नं. : G4LALM751640 चेसिस नं. : MALB241CLLM046296	तिथि 07.05.2023 तक रु. 4,52,382.00 (रुपये चार लाख बावन हजार तीन सौ बयासी मात्र) + 08.05.2023 से उक्त धनराशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार + अन्य प्रभार, यदि कोई हो तथा साथ ही प्रवर्तन एजेंट के देय कोई अन्य राशि	मांग सूचना तिथि 08.05.2023 एनपीए तिथि 06.05.2023 कार ऋण खाता सं. 39793616664

तिवः 24.07.2023 स्थानः फरीदाबाद

युफ्लक्स लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी, सेक्टर-16, फेरीका

'A part of your daily life'

CIN: L74899DL1988PLC032166

रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तृतीय तल, भनोट कॉर्नर, पम्पोश एंक्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली - 110048 फोन नंo: 011-26440917, 011-26440925 फैक्स: 011-26216922 वेबसाईट : www.uflexltd.com ई-मेल : secretarial@uflexltd.com

34वीं (चौतीसवीं) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य -दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना दिनांक 30 मई 2023 में तय ढंग के अनुसार व्यवसाय चलाने के लिये, युफ्लेक्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 34वीं ("चौतीसवीं") वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' या 'बैठक') बुधवार, 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार दिन के 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य श्रव्य—दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से होगी। सामान्य विज्ञप्ति संख्या(ओं) क्रमशः 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20 / 2020 दिनांक 05 मई 2020 और इस संबंध में जारी किये गये बाद के परिपन्न, जिनमें नवीनतम 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 की अनुरुपता में जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया गया है (सामूहिक रूप से एमसीए विज्ञप्ति कहा गया) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई 2022 और 05 जनवरी 2023 तथा सेबी द्वारा जारी अन्य विज्ञप्तियों (यदि जारी की गई) के सहित पढ़ा जाये (सामूहिक रूप से "सेबी विज्ञप्ति" कहा गया) के अनुपालन में, कंपनी 34वीं एजीएम की नोटिस, 2022—23 की वार्षिक रिपोर्ट सहित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजेगी जिनका ई-मेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट तथा जमाकर्ताओं के साथ पंजीकृत है। एजीएम के नोटिस की कागजी प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त वर्णित एमसीए और सेबी की विज्ञप्तियों द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 और एजीएम का नोटिस, स्पष्टीकरण विवरण के साथ कंपनी की वेबसाईट www.uflexltd.com और शेयर बाजार की वेबसाईट(ऑ) यथा www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध होंगी। इसकी एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित जमाकर्ता प्रतिभागी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत करा लें और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाईनेंशियल एंड कंम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसूख दास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062, फोन नं: 011-29961281-83, फैक्स नं.: 011-29961284, ई-मेल beetal@beetalfinancial.com के साथ ई-मेल पता अद्यतन करा लें ताकि उन्हें वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम का नोटिस, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और दूर से ई—मतदान से संबंधित अनुदेश मिल सके।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये 30% अन्तिम लाभांश [(₹10/- (रुपये दस मात्र) मूल्य की फेंस वैल्यू पर ₹3.00 (रुपये तीन मात्र)] प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है, जो आगामी एजीएम में शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है । एजीएम के उद्देश्य से और अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 5 अगस्त, 2023 से बुधवार, 23 अगस्त, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। लाभांश यदि घोषित किया जाता है तो यह विभिन्न ऑनलाईन अंतरण माध्यमों से उन शेयर धारकों को इसका भुगतान किया जायेगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी यानी जमाकर्ता प्रतिभागियों के साथ अद्यतन कर लिया है। जिन शेयर धारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं किया है उनका लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजा जायेगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश) से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश अंतरण के लिये अपना अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश द्वारा सीधे अपने बैंक खाते में या किसी अन्य माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी के ई-मेल secretarial@uflexltd.com पर निम्नलिखित विवरण / दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रति भेज सकते हैं:

क) हस्ताक्षरित प्रार्थनापत्र, आपका नाम, फोलियो नम्बर, पूरा पता और बैंक विवरण (नाम, शाखा तथा खाता प्रकार) कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के बाद बैंक से आवंटित खाता संख्या के उल्लेख सहित; 11 अंक का

ख) रद्द किये हुए चेक की स्व-प्रमाणित, जिस पर सदस्य या पहले धारक, यदि शेयर संयुक्त रूप से लिये गये हों, का नाम हो की स्कैन की हुई प्रति;

ग) पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन की हुई प्रति; और

घ) सदस्य के कंपनी के साथ पंजीकृत पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे कि आधार-कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्कैन की हुई स्व—प्रमाणित प्रति ।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश अपने डिपॉजिटरी या जमाकर्ता प्रतिभागि(यों) के माध्यम से अद्यतन करायें।

उपर्युक्त संदर्भ में किसी अन्य जानकारी / स्पष्टीकरण के लिये, सदस्य कंपनी / कंपनी के आरटीए को उपरोक्त पते / ई-मेल पर लिख सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार, कृते युपलेक्स लिमिटेड,

रितेश चौधरी सीनियर वाइस प्रेसीडेंट -सेक्रेटेरियल एण्ड कंपनी सेक्रेट्री

एसीएस नम्बर 19966

स्थानः नोएडा दिनांकः जुलाई 24, 2023

www.readwhere.com

स्थानः नोएडा

दिनांकः जुलाई 24, 2023

सार्वजनिक सूचना

—मेल : VIKASP@bankofbaroda.com

परिशिष्ट के – अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति/यों हेतु)